



बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस. चन्द्रशेखर, भा0व0से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

The Director,
MoEFCC (EC), (IA Division), Govt. of India,
Ministry of Environment, Forest and Climate Change,
Indira Paryavaran Bhawan, 3rd Floor, Vayu Wing,
Jor Bag Road, Ali Ganj, New Delhi- 110 003.

विषय: बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी (बियाडा) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, भेड़ियाडांगी, जिला-किशनगंज (कुल क्षेत्रफल-13.667 हेक्टेयर) में लेदर क्लस्टर एरिया एवं सी.ई.टी.पी. (02 एम.एल.डी.) स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0-S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के आलोक में बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी (बियाडा) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, भेड़ियाडांगी, जिला-किशनगंज (कुल क्षेत्रफल-13.667 हेक्टेयर) में लेदर क्लस्टर एरिया एवं सी.ई.टी.पी. (02 एम.एल.डी.) स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में अपर समाहर्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक: 12.07.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कारवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

(एस.चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस.चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं), बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी (बियाडा), प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना-800 004 को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह0/-

(एस.चन्द्रशेखर)

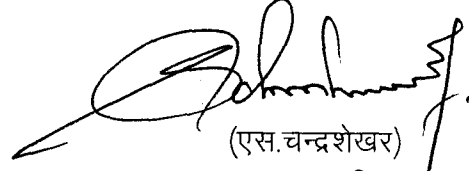
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 1753.

पटना, दिनांक :- 29.7.24

प्रतिलिपि:-श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि.रा.प्र.नि.पर्वद, पटना को निदेश है कि दिनांक 12.07.2024 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्वद के वेबसाइट पर डिसप्ले कराया जाय।

अनुलग्नक: यथोपरि।


(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव
29/7/24

BPCB/PC-38/C:Desktop\RO_Purnea\Sand\Leather

लोक-सुनवाई का वृत्त

बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी (बियाडा) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, भेड़ियाडांगी, जिला-किशनगंज (कुल क्षेत्रफल-13.667 हेक्टेयर) में लेदर क्लस्टर एरिया एवं सी.ई.टी.पी. (02 एम.एल.डी.) स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 के तहत दिनांक 12.07.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे किशनगंज जिला के प्रखण्ड सभागार, किशनगंज, जिला-किशनगंज में लोक-सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, आई.ए. डिवीजन द्वारा निर्गत TOR File.No.10/66/2023, दिनांक 17.12.2023 के आलोक में श्री अमरेन्द्र कुमार पंकज, अपर समाहर्ता, किशनगंज (जिला पदाधिकारी, किशनगंज के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, द्वारा दिनांक 12.07.2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रखण्ड सभागार, किशनगंज, जिला-किशनगंज में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 07.06.2024 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पूर्णियाँ द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोकहित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोकहित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक-सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव ने लेदर क्लस्टर एवं सी.ई.टी.पी. स्थापित करने संबंधित परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा बताया गया कि लेदर क्लस्टर एरिया (कुल क्षेत्रफल-13.667 हेक्टेयर) में टेनरी इकाई एवं सी.ई.टी.पी. (Common Effluent Treatment Plant) स्थापित की जायेगी। जिसके तहत रॉ स्किन/हाईड्स से फिनिश लेदर तथा सेमी फिनिश लेदर तैयार किया जायेगा। जिसकी क्षमता -11000 नंबर्स प्रतिदिन (45 टी पी डी) होगी तथा सी.ई.टी.पी. की क्षमता 2 एम.एल.डी. की होगी। उनके द्वारा बताया गया कि कच्चे चमड़े और त्वचा को चमड़ा में बदलने की प्रक्रिया को टैनिंग (Tanning) कहाँ जाता है। कच्चे चमड़ो/त्वचों से परिपक्व चमड़ा उत्पादन में सॉर्टिंग प्रक्रिया, ट्रिमिंग, क्यूरिंग एवं भंडारण, बीम हाउस, सोकिंग, अन्हेरिंग और लाइमिंग, पेटिंग और लाइमिंग, फ्लेविंग, स्प्लिटिंग, डीलाइमिंग, बैटिंग, डीग्रीसिंग, पिकलिंग, टैनिंग, एवं शेविंग प्रक्रियाँ का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा टैनिंग के बाद न्यूट्रलाइजेशन, डाइंग, फैट लिकरिंग, ड्राईइंग प्रक्रिया अपनायी जायेगी। प्रस्तावित लेदर क्लस्टर एरिया में लगभग 960 के.एल.डी. पानी का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जायेगा। उत्पादन प्रक्रिया से निकलने वाले प्रदूषित जल को उपचारित करने हेतु 02 एम.एल.डी. क्षमता का सी.ई.टी.पी. (Common Effluent Treatment Plant) स्थापित किया जायेगा। उत्पादन प्रक्रिया के

1

A

दौरान स्थापित होने वाली Chromium उपयोग करने वाले टेनरी इकाई से निकलने वाले वहिश्चाव से Chrome निष्कासन हेतु Chrome Recovery Plant लगाया जायेगा। यहाँ से उपचारित होकर ही वहिश्चाव Common Effluent Treatment Plant में उपचार हेतु जायेगा। सी.ई.टी.पी. (Common Effluent Treatment Plant) से उपचारित जल का उपयोग परियोजना के भीतर विभिन्न कार्यों के लिए किया जायेगा। यह परियोजना (Zero Liquid Discharge) ZLD सिद्धांत पर आधारित होगा। किसी प्रकार का वहिश्चाव का निस्सारण परिसर से बाहर नहीं किया जायेगा। इस परियोजना से लगभग 10 के.एल.डी. घरेलू वहिश्चाव निकलेगा। जिसे उपचारित करने हेतु 15 के.एल.डी. क्षमता का एम.बी.बी.आर. तकनीक पर आधारित सर्वेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित किया जायेगा।

निर्माण अवधि के दौरान धूल और धुँए के प्रमुख स्रोत डीजी सेट, वाहनों की आवाजाही और निर्माण गतिविधियाँ हैं। इन प्रभावों को कम करने के लिए निर्माण क्षेत्र के चारों ओर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा और निर्माण सामग्री को तिरपाल से ढककर या अस्थायी षेड में रखकर ढके हुए क्षेत्र में संग्रहित किया जायेगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यॉलर में ईंधन के रूप में धान का भूसी/कोयला/ब्रिकेट्स/CNG/PNG का उपयोग किया जायेगा एवं उत्सर्जन के लिए 33 मीटर उँची चिमनी का प्रावधान किया जायेगा। जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मल्टी साईकलोन डस्ट क्लकटर एवं स्क़्रबर लगाया जायेगा। वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोक-थाम के लिए परियोजना क्षेत्र के 33% भू भाग (4.51 हेक्टेयर) में हरित पट्टी का विकास किया जायेगा। लेदर कलस्टर परियोजना के संचालन के दौरान उत्पन्न ठोस कचरे का संग्रहण, परिवहन और निपटान नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016 (MSW Rules, 2016) के अनुसार किया जायेगा। संचालन के दौरान निकलने वाले ठोस अपशिष्ट के रूप में फ्लेशिंग का उपयोग परियोजना के भीतर ग्लू उत्पादन के लिए किया जायेगा, षेविंग को टेक्सटाईल एवं वूल उद्योगों को बेचा जायेगा, ट्रिमिंग्स/स्प्लिटिंग को अन्य चमड़ा उद्योग को बेचा जायेगा तथा स्लज को निस्सारण के लिए टी एस डी एफ को दिया जायेगा। वहिश्चाव उपचार प्रक्रिया में सी.ई.टी.पी. से निकलने वाले नमक को बुचडखाना/ टेनरी इकाई को उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

वर्षा जल संचयन कर तथा छत क्षेत्र से वर्षा जल को उपर्युक्त क्षमता के वर्षा जल संग्रह कृत्रिम पोखर में एकत्रित कर के भूजलभृतों में पुनर्भरण किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना से क्षेत्र में बाजार, कार्यशालाएँ और वाणिज्यिक केन्द्र विकसित होंगे। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार के अवसर पैदा करेगी। पानी की आपूर्ति और स्वच्छता आदि की बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के साथ श्रमिक षिविर प्रदान किये जायेगे, जो भौतिक और सौंदर्य पर्यावरण के क्षरण को रोकने में काफी मददगार साबित होंगे। प्रस्तावित परियोजना बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के लिए सभी उपाय अपनायेगा। परिसर के बाहर किसी भी औद्योगिक अपशिष्ट जल को सतह या जल निकायों में नहीं छोड़ा जायेगा। प्रस्तावित परियोजना से वायु उत्सर्जन E (P) Act, Rules की मानक सीमा के अधीन होगा। परियोजना क्षेत्र के परिवेष्टी ध्वनि स्तर भी औद्योगिक क्षेत्र के सीमा के अधीन होगी।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैं:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री तनबीर आलम, मुखिया, ग्राम पंचायत-चकला, जिला-किशनगंज।	इनके द्वारा बतलाया गया कि यह परियोजना आबादी के बीचो-बीच लग रही है। बगल में इंजीनियरिंग कॉलेज, आई.टी.आई., स्कूल एवं आबादी अवस्थित है। इस परियोजना के संचालन

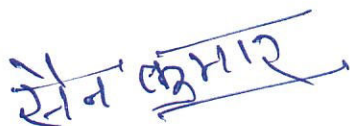
		से होने वाले वायु प्रदूषण हवा के बहाव के कारण चारों ओर फैलेगा। साथ ही इस परियोजना से दुर्गंध फैलेगा। जिसे वृक्षारोपण से रोकथाम नहीं किया जा सकेगा। इस तरह की परियोजना यहा पर नहीं लगनी चाहिए। परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बतलाया गया कि यह परियोजना औद्योगिक क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित है। परियोजना के तहत लगने वाली टेनरी इकाईयाँ सम्पूर्ण रूप से जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध रहेगी। इकाई से उत्पन्न वहिश्चाव (दूषित जल) को उपचारित करने हेतु 20 लाख लीटर (2000 KLD OR 2 MLD) क्षमता का Common Effluent Treatment Plant बियाडा द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव है। जिसके माध्यम से वहिश्चाव को उपचारित कर पुनः इसका उपयोग किया जायेगा। किसी प्रकार का वहिश्चाव बाहर नहीं निकलेगा। यह परियोजना जेड.एल.डी. पद्धति पर आधारित होगा। इकाई के ब्यॉलर में ईंधन के रूप में धान का भूसी/कोयला/ब्रिकेट्स का उपयोग किया जायेगा। साथ ही भविष्य में तेल कम्पनियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन के रूप में CNG/PNG उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में इनका प्रयोग किया जायेगा। ताकि वायु प्रदूषण की संभावना कम-से-कम हो। ब्यॉलर से जुड़ी चिमनी की उँचाई 33 मीटर होगी। साथ ही वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मल्टी साईकलोन डस्ट क्लकटर एवं स्क़बर लगाया जायेगा। जिससे धुँआ के साथ निकलने वाला डस्ट जमा हो जायेगा। इस प्रक्रिया से किसी प्रकार की वायु प्रदूषण की संभावना न्यूनतम हो जायेगी। साथ ही परियोजना के भूमि का 33% भाग पर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा। आबादी की तरफ सघन रूप से सुगंधित पेड-पौधा लगाया जायेगा। जिससे किसी प्रकार का दुर्गंध की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
2.	श्री रंजन कुमार पासवान, भेडियाडांगी, जिला-किशनगंज।	इनके द्वारा बताया गया कि 13.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लेदर क्लस्टर स्थापित किये जाने स्थल के आस-पास स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एवं जीविका कार्यालय अवस्थित है। यहा पर इकाई लगने के कारण चारों ओर दुर्गंध फैलेगा। जिसके कारण यहाँ रहना मुश्किल हो जायेगा एवं बिमारी फैलेगी।

		लेदर क्लस्टर योजना के विरुद्ध शिकायत जिला पदाधिकारी, किशनगंज को दिया गया है। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बतलाया गया कि इस परियोजना के तहत लगने वाली इकाई अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित होगी। जिससे दुर्गंध निकलने की संभावना नहीं होगी। साथ ही सघन रूप से सुगंधित पेड़-पौधा लगाया जायेगा। जिसे दुर्गंध फैलने की संभावना नहीं रहेगी। इस परियोजना के तहत 11275 पेड़ लगाये जायेगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र के भीतर एवं आस-पास के गांवों में स्वच्छता हेतु ठोस कदम उठाये जायेगे।
3.	श्री तरुण केषप, ग्राम-भेडियाडांगी, जिला-किशनगंज।	इनके द्वारा बतलाया गया कि इस परियोजना के तहत कच्चा माल के रूप में लाये जाने वाले चमड़ा एवं इकाई से तैयार चमड़ा गाँव के सड़क से होकर जायेगी। जिसके कारण चारों ओर दुर्गंध फैलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बतलाया गया कि कच्चा माल एवं तैयार माल का परिवहन गाँव के बीच के सड़क से नहीं किया जायेगा। इसका परिवहन मुख्य सड़क से औद्योगिक क्षेत्र को जाने वाली सड़क से किया जायेगा। इसी सड़क को औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा चौड़ीकरण एवं इकसा रखरखाव सुनिश्चित किया जायेगा। कच्चा माल के रूप में आने वाले चमड़ा का परिवहन बख्तर/बक्सा बंद गाड़ी से किया जायेगा। जिससे किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं निकलेगा तथा परियोजना से निकलने वाले किसी प्रकार का वहिश्चाव परिसर के परिधि से बाहर नहीं निकलेगा। इस परियोजना के कुल लागत का 2% राशि का उपयोग आस-पास के गाँव के विकास में किया जायेगा।
4.	श्री अनिल कुमार पंडित, ग्राम-भेडियाडांगी, जिला-किशनगंज।	इनके द्वारा बतलाया गया कि इस तरह की बुचडखाना जहाँ स्थापित है, वहा चारों ओर दुर्गंध फैलता है। यहाँ पर आई.टी.आई., स्कूल, कॉलेज आदि स्थापित है तथा आस-पास के गांव की आबादी 5000 से अधिक है। इस तरह की इकाई की स्थापना आबादी से दुर होनी चाहिए। यहा पर दुसरे तरह की इकाई लगायी जाय। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि यहाँ पर Organised रूप से औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आधुनिक तकनीक पर इकाई स्थापित की

		जायेगी। जिससे होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण हेतु सभी उपाय किये जायेंगे तथा औद्योगिक क्षेत्र के भीतर विभिन्न प्रकार के ऐसे पेड़ लगाये जायेग, जो दुर्गंध को रोकने में कारगर होगी। आप लोगों द्वारा जो आषंका व्यक्त की जा रही है, उन सभी के निवारण हेतु उपाय किये जायेंगे।
5.	श्रीमति सोनी देबी, श्रीमति सुजान देबी, पति श्री गरीब पासवान, श्रीमति अरूणा देबी, पति श्री दिलीप महालदार, ग्राम-भेडियाडांगी, जिला-किशनगंज।	इन लोगों द्वारा सुझाव दिया गया कि इस स्थल पर चमड़ा एवं सिमेंट फैक्टरी को छोड़ कर दुसरे तरह के उद्योगों को लगाया जाय। इस पर हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि यदि यह परियोजना स्थापित होती है तो पुरा प्रयास किया जायेगा कि किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं हो। प्रदूषण नियंत्रण हेतु सभी उपाय किये जायेगे।

जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।



क्षेत्रीय पदाधिकारी, पूर्णियाँ
बि.रा.प्र.नि.पर्षद



अपर समाहर्ता,
किशनगंज
अपर समाहर्ता
किशनगंज